परिशिष्ट " घ "

(नियम – 23) राज्य सरकार का निर्णय – 2

प्ररूप ग–1

जमा से सम्बद्ध बीमा योजना के अन्तर्गत धनराशि प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र

सेवाकाल में किसी अभिदाता की मृत्यु हो जाने पर उसकी मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में उसके सामान्य भविष्य निधि खाते में औसत जमा अवशेष के आधार पर धनराशि प्राप्त करने का आवेदन पत्र जिसका प्रयोग नामितों द्वारा या यदि कोई नामांकन न हो, तो अन्य दावेदारों द्वारा किया जायेगा ।

सेवा में,

.....

.....

.....

महोदय,

अनुरोध है कि स्वर्गीय श्री / श्रीमती / कुमारी..... के सामान्य भविष्य निधि खाते में उनकी मृत्यु माह / दिनांक ..... के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में जो औसत जमा धनराशि अवशेष रही है , कृपया उसके बराबर बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि का भुगतान करने का प्रबन्ध करें। इस संबंध में अपेक्षित विवरण निम्नवत् है :–

1. सरकारी कर्मचारी का नाम :–
2. जन्म तिथि :–
3. सेवा प्रारम्भ का दिनांक :–
4. पदनाम जिस पर कार्यरत था :–
5. क्या पांच वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है :–
6. मृत्यु के पूर्ववर्ती तीन वर्षो में कर्मचारी के सा0भ0निधि खाते में औसत जमा और शासनादेशानुसार निर्धारित न्यूनतम अवशेष को देखते हुये प्रार्थी बीमा धनराशि के रूप में अतिरिक्त धनराशि पाने का पात्र है अथवा नहीं :– हां / नहीं
7. मृत्यु प्रमाण पत्र संलग्न :– हां / नहीं
8. मृत्यु का दिनांक :–
9. सा0भ0निधि खाता संख्या :–
10. अभिदाता के नाम उसकी मृत्यु के माह से पूर्ववर्ती तीन वर्षो में औसत जमा सामान्य भविष्य निधि की धनराशि, यदि ज्ञात हो :–रु0.....
11. यदि कोई नामांकन हो तो अभिदाता की मृत्यु के दिनाक को जीवित नामितों का ब्यौरा :–
12.

क्र0 स0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

Scanned by CamScanner

12. उस दशा में परिवार का ब्यौरा जब की नामांकन किसी ऐसे व्यक्ति के पक्ष में किया गया हो जो परिवार का सदस्य न हो, परन्तु अभिदाता ने बाद में परिवार बना लिया हो :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

13. यदि कोई नामांकन न हो, तो अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर परिवार के उत्तरजीवी सदस्यों का ब्यौरा दिया जाय । यदि अभिदाता की कोई पुत्री या अभिदाता के किसी मृत पुत्र की पुत्री हो और उसका विवाह अभिदाता की मृत्यु के पूर्व हो गया हो तब उसके नाम के सामने यह लिख देना चाहिये कि क्या उसका पति अभिदाता की मृत्यु के दिनांक पर जीवित था :–

क्र0 सं0	नाम	अभिदाता से संबंध	मृत्यु के दिनांक पर आयु
1	2	3	4

14. उस दशा में जब कि ऐसे अवयस्क पुत्र/पुत्री को जिसकी मां (अभिदाता की विधवा) हिन्दू न हो, धनराशि देय हो, तो दावे का भुगतान, यथा स्थिति क्षतिपूर्ति बन्ध पत्र या अभिभावक प्रमाण पत्र के आधार पर किया जाना चाहिये ।

15. यदि अभिदाता ने कोई परिवार नहीं छोड़ा है, और कोई नामांकन न हो तो उन व्यक्तियों के नाम जिन्हें सामान्य भविष्य निधि की धनराशि देय हो, इसका समर्थन सप्रमाण–पत्रों (लेटर्स आफॅ प्रोबेट) या उत्तराधिकार प्रमाण पत्र आदि द्वारा किया जाना चाहिये :–

क्र0 सं0	नामित का नाम	अभिदाता से संबंध	नामित का हिस्सा
1	2	3	4

16. दावेदार (दावेदारो) का धर्म :–

17. भुगतान ..... के कार्यालय के जरिये कोषागार ..... के जरिये चाहते है । इस संबंध में सेवारत राजपत्रित अधिकारी / मजिस्ट्रेट द्वारा यथावत प्रमाणित निम्नलिखित अभिलेख संलग्न है :–

1. पहचान के वैयक्तिक चिन्ह ' ।
2. बांये / दांये हाथ के अंगुठे और उंगलियों की छाप (निरक्षर दावेदारों की दशा में)।
3. नमूने के हस्ताक्षर की दो प्रतिया (साक्षर दावेदारों की दशा मे) ।

स्थान .....

दिनाक .....

भवदीय,

(दावेदार का नाम पता व हस्ताक्षर)

Scanned by CamScanner

(कार्यालय / विभागाध्यक्ष के प्रयोग के लिये)

श्री / श्रीमती / कुमारी..... के भविष्य निधि लेखे की संख्या (जैसे वह उसे भेजे गये वार्षिक विवरण पत्रों से सत्यापित की गयी है) ..... है ।

2. उसकी मृत्यु दिनांक ..... को हुई । नगरपालिका / ग्राम प्रधान / तहसीलदार द्वारा जारी किया गया मृत्यु प्रमाण–पत्र प्रस्तुत किया गया है । / इस मामले में उसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि मृत्यु के बारे में कोई सन्देह नहीं है ।

3. उसके ..... महीने (सेवाकाल का अन्तिम मास लिखा जाना चाहिये) के वेतन से, जो इस कार्यालय के देयक (बिल संख्या..... दिनांक .....) के द्वारा निकाला गया है, अभिदान की अन्तिम कटौती रु0 ..... (अंकों में)..... (शब्दों में)की गयी जिसके ..... कोषागार के नगदी प्रमाणक (कैश वाउचर) संख्या ..... में कटौती की धनराशि रु0 .... थी और अग्रिम धन की वापसी की वसूली रु0..... ..... थी ।

4– प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में न तो उसे अस्थाई अग्रिम धन स्वीकृत किया गया था और न उसे उसके भविष्य निधि लेखे से अन्तिम रूप से कोई धनराशि निकालने की स्वीकृति दी गयी थी।

या

प्रमाणित किया जाता है कि उसकी मृत्यु के दिनांक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में निम्नलिखित अस्थायी अग्रिम तथा / अथवा निष्कासन के रूप में धनराशियां निकालने के लिए स्वीकृति दी गयी थी और वे निकाल ली गयीं थी ।

क्र0 सं0	अग्रिम / अन्तिम निष्कासन	निकाली जाने वाली धनराशियां	चुकता किये जाने का (इन्कैशमेन्ट) दिनांक और स्थान	प्रमाणक संख्या

5. प्रमाणित किया जाता है कि उसके भविष्य निधि खाते से वित्त पोषित जीवन बीमा पॉलिसी के प्रीमियम के भुगतान हेत उसकी मृत्यु के दिनाक से तुरन्त पूर्व के 36 महीनों में उसकी भविष्य निधि लेखे से कोई धनराशि नहीं निकाली गयी थी / निम्नलिखित धनराशियां निकाली गयी थी–

क्र0 सं0	पॉलिसी संख्या और कम्पनी का नाम	धनराशि	दिनांक	प्रमाणक संख्या

6. प्रमाणित किया जाता है कि वसूली के लिये देय सरकार की कोई मांगे नहीं है / निम्नलिखित मांगे है ।

कार्यालयाध्यक्ष । विभागाध्यक्ष।

' यह केवल उसी समय लागू होगा जबकि भुगतान कार्यालयाध्यक्ष द्वारा चाहा गया हो ।

पी0एस0यू0 (आर0ई0) 13 वित्त / 720–10–03–2006– 1,000 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।

Scanned by CamScanner